19/5/13

संख्याः 331 /XVII(4)/2012/5(42)/11

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 2 अप्रैल, 2013

विषयः आंगनबाड़ी केन्द्रो में विद्यालय की भांति ग्रीष्मावकाश दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या सी0 3763/बा0ब0स्था0–1567(2)/2012–13 दिनांक 7–2–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रो में विद्यालयों की भांति ग्रीष्मावकाश दिये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश चाहे गये है। चूंकि आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को विद्यालयों की भांति ग्रीष्मावकाश स्वीकृत किया जाता है तो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वर्ष में 300 दिन पोषाहार दिये जाने का पालन नही हो पायेगा तथा इससे आंगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से पोषाहार, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य एवं घोषणा आदि कार्यकम प्रभावित हो सकते है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को वर्ष में उनकी सुविधानुसार 20 दिन के अवकाश के अतिरिक्त विद्यालय की भांति ग्रीष्मावकाश प्रदान किया जाना सम्भव नही है।

भवदीय

02/04/13

(सी0एस0 नपलच्याल)
अपर सचिव